न्यायालयः— विशेष सत्र न्यायाधीश शहडोल ,जिला शहडोल(म0प्र0)
(पीठासीनः— बी0एल0प्रजापति)

Registration No.	Cno.12/2017
CNR No.	MP 18010010942017
Fiiling No.	S.C.ATR.833/2017
Registration Date	07.04.2017

.....निर्णय .....
//आज दिनांक— 16.03.2023 को घोषित//

शिकायतकर्ता/ अभियोजन पक्ष.	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना जयसिंहनगर, जिला — शहडोल (म0प्र0)
अभियोजन अधिकारी	विशेष लोक अभियोजक श्री अरविंद द्विवेदी
अभियुक्त का नाम,व पता	**दिनेश उर्फ ललुवा यादव** उम्र 30 वर्ष, आत्मज श्री कन्धई यादव, पेशा—मजदूरी, निवासी ग्राम कुबरा, थाना जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म0प्र0)
अधिवक्ता	श्री राजेन्द्र द्विवेदी।

FORM-B

घटना दिनांक	25.07.2016
प्रथम सूचना दिनांक	25.07.2016
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	07.04.2017
आरोप विरचित दिनांक	04.05.2017
अभियोजन साक्ष्य समाप्ति दिनांक	25.02.2023
बचाव साक्ष्य समाप्ति दिनांक	28.02.2023
अंतिम तर्क पश्चात निर्णय हेतु निर्धारित दिनांक	16.03.2023
निर्णय दिनांक दण्डादेश दिनांक यदि कोई हो	16.03.2023 16.03.2023

अभियुक्त का विवरण

Rank of The Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offence charged with	Whether Acquitted or Convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for Purpose of section 428,Cr.C.P.

A1	दिनेश उर्फ ललुवा यादव	10.03. 2017	10.03. 2017	धारा– 341, 323, 506 भाग–2 भा.दं0सं0 व धारा 3(2)(5ए) व धारा 3(1)(R)(S) एससी/एसटी एक्ट	दोषसिद्ध।	दण्डादेश अनुसार।	निरंक।

अभियोजन साक्षियों की सूची–

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (Eye Witness,Police Winess,Expert Witness,Medical Witness,Panch Witness,Other Witness)
PW-1	विनोद कोल	पीड़ित/आहत।
PW-2	लाला कोल	चक्षुदर्शी साक्षी, पक्ष विरोधी।
PW-3	राकेश कोल	चक्षुदर्शी साक्षी, पक्ष विरोधी।
PW-4	विष्णु कोल	चक्षुदर्शी साक्षी।
PW-5	डॉ0 आर0पी0सिंह	आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करना व रिपोर्ट देने का साक्षी।
PW-6	बालेन्द्र प्रसाद मिश्रा सहायक उप निरीक्षक	घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने व फरियादी का कथन लेने का साक्षी।
PW-7	प्रफुल्ल राय, निरीक्षक	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने, मुलाहिजा आवेदन भरकर फरियादी को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु सी0एच0सी जैसिंहनगर भेजने का साक्षी।
PW8	शारदा प्रसाद गुप्ता, पटवारी	घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार करने का साक्षी।
PW9	गजेन्द्र सिंह कंवर एसडीओपी	विवेचक साक्षी।

बचाव साक्षी यदि कोई हों तो–

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (Eye Witness,Police Winess,Expert Witness,Medical Witness,Panch Witness,Other Witness)
	निरंक	निरंक

न्यायालय में प्रदर्शित दस्तावेज सूची अभियोजन /बचाव –

A- अभियोजन पक्ष–

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेज विवरण
1	प्रदर्श पी.1, प्र0पी02, पी03, पी04 एवं प्र0पी05 (अ.सा.1)	जाति प्रमाण पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, घटना स्थल का नक्शा मौका, जाति प्रमाण पत्र का जब्ती पत्रक एवं

		पटवारी द्वारा बनाया गया घटना स्थल का नक्शा मौका।
2	प्रदर्श पी.6 (अ.सा.2)	धारा 161 दं0प्र0सं0 के तहत् पुलिस कथन।
3	प्रदर्श पी.7 (अ.सा.3)	धारा 161 दं0प्र0सं0 के तहत् पुलिस कथन।
4	प्रदर्श पी.8 (अ.सा.4)	धारा 161 दं0प्र0सं0 के तहत् पुलिस कथन।
5	प्रदर्श पी.9 (अ.सा.5)	चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट।
6	प्रदर्श पी.3 (अ.सा.6)	घटना स्थल का नक्शा मौका।
7	प्रदर्श पी.2,9,10 (अ.सा.7)	प्रथम सूचना रिपोर्ट, मुलाहिजा आवेदन एवं अग्रिम विवेचना हेतु एसडीओपी ब्यौहारी को भेजा गया पत्र।
8	प्रदर्श पी.5, 11(अ.सा.8)	पटवारी द्वारा तैयार किया गया नजरी नक्शा एवं तहसीलदार को भेजा गया पत्र।

B- बचाव पक्ष–

क्रमांक	प्रदर्श	दस्तावेज विवरण
	निरंक।	निरंक।

C- न्यायालय द्वारा प्रदर्शित –

क्रमांक –	प्रदर्श क्रमांक –	दस्तावेज विवरण
	निरंक	निरंक

D- महत्वपूर्ण सामग्री–

क्रमांक –	सामग्री क्रमांक–	विवरण –
	निरंक	निरंक

1– <u>आरोपी दिनेश उर्फ ललुवा यादव के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 341, 323, 506 भाग–2 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(5ए) एवं धारा 3(1)(आर)(एस)</u> का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 25.07.2016 को 19.00 बजे से लेकर 19.20 बजे के मध्य कुबरा रोड में बरा बसस्टैण्ड के पास जयसिंहनगर, थाना जयसिंहनगर क्षेत्र के अंतर्गत विनोद कोल को दिशा विशेष में जाने से रोक कर सदोष अवरोध कारित किया **तथा** विनोद कोल को टंगिया के पांसा से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की **एवं** विनोद कोल को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया **तथा** उक्त अपराध स्वयं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए तथा फरियादी विनोद कोल को अनुसूचित जनजाति का सदस्य जानते हुए कारित किया व सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर होने वाले स्थान पर जातिसूचक गालियां देकर साशय अपमानित एवं अभित्रस्त किया।

2– प्रकरण में अविवादित तथ्य यह है कि आरोपी दिनेश उर्फ ललुवा, ''यादव'' जाति का होकर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है।

3— अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि :—

अ— फरियादी विनोद कोल थाना जैसिंहनगर में दिनांक 25.07.2016 को रात्रि 10.04 बजे उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लिखाई कि वह दिनांक 25.07.2016 को बसस्टैण्ड कुबरा से सामान लेकर अपने घर वापिस जा रहा था तो रास्ते में बरा के पास रोड में ललुआ यादव पिता गोल्ला यादव उसे करीब 7.00 बजे शाम को मिला बोला कि रूक बे मादरचोद कोलवा, कहां जा रहा है, उसे रास्ते में रोक लिया, तब वह बोला ठीक से बात करो, गाली मत दो, इतने में ललुआ यादव हाथ में रखे टंगिया के पासा से उसके माथे में एक पासा मारा, खून बहने लगा तथा एक पासा दाहिने हाथ की कोहनी में मारा तब हल्ला गोहार किया तो विष्णु कोल, राकेश कोल, लाला कोल, अंजू गोंड़ दौड़कर आए और बीच बचाव किये तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। गोल्ला यादव उसकी मॉ को भगाकर ले गया था, इसी बात पर से ललुआ उससे तथा उसके परिवार से बुराई रखता है। मार पीट से उसके माथे में बाएं तरफ, दाहिने हाथ की कोहनी के पास चोंट लगी है। उक्त मौखिक रिपोर्ट पर से थाना जैसिंहनगर में अपराध क्रमांक 275/2016 अंतर्गत धारा 341, 294, 323,506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(आर)(एस) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।

ब— विवेचना के दौरान निरीक्षक प्रफुल्ल राय ने फरियादी विनोद कोल का कथन अंकित करने के पश्चात् उसे मेडिकल परीक्षण हेतु सी0एच0सी0 जैसिंहनगर भेजकर मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया तथा बालेन्द्र प्रसाद मिश्रा सहायक उपनिरीक्षक ने फरियादी की निशादेही पर गवाहों के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया एवं पटवारी से भी घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार करवाया गया। अभियोजन साक्षियों के धारा 161 दं0प्र0सं0 के तहत् कथन लिये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया एवं अन्य औपचारिक विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त थाना जैसिंहनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध 341, 294, 323, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(आर)(एस), 3(2)(5ए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत् न्यायालय में चालान पेश किया गया।

5— मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरूद्ध निर्णय की कण्डिका क्र01 अनुसार आरोप लगाया जाकर, सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने जुर्म करने से इंकार किया है तथा विचारण किये जाने की प्रार्थना की। आरोपी ने धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत् दिये गये कथनों में अभियोजन पक्ष को गलत होना बताया है तथा स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त करते हुए प्रकरण में झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया गया है। परन्तु आरोपी की ओर से प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराए गए हैं।

6— निर्णय हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं :—

1— क्या फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है तथा क्या आरोपी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है?

2— क्या आरोपी ने 25.07.2016 को 19.00 बजे से लेकर 19.20 बजे के मध्य कुबरा रोड में बरा बसस्टैण्ड के पास जयसिंहनगर, थाना जयसिंहनगर क्षेत्र के अंतर्गत विनोद कोल को दिशा विशेष में जाने से रोक कर सदोष अवरोध कारित किया ?

3. क्या उक्त दिनांक, समय एवं स्थान में आरोपी ने फरियादी विनोद कोल को टंगिया के पांसा से मार—पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?

4. क्या उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आरोपी ने फरियादी विनोद कोल को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

5. क्या उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त अपराध स्वयं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए तथा फरियादी विनोद कोल को अनुसूचित जनजाति का सदस्य जानते हुए कारित किया व सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर होने वाले स्थान पर जातिसूचक गालियां देकर साशय अपमानित एवं अभित्रस्त किया?

निराकरण एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क01 पर निष्कर्ष

07— फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) ने अपने कथन में यह बताया है कि वह कोल जाति का होकर अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है, उसकी जाति के संबंध का प्रमाण पत्र प्र0पी01 है। साक्षी राकेश कोल (अ0सा03) एवं विष्णु कोल (अ0सा04) ने अपने कथन में बताया है कि वे फरियादी विनोद कोल को जानते हैं। उक्त तथ्य के संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। प्रकरण में जब्त प्र0पी01 के जाति प्रमाण पत्र जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील जैसिंहनगर, जिला शहडोल द्वारा जारी किया गया है, के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त जाति प्रमाण पत्र प्र0क0676/बी—121/जाति प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र कमांक आरएस/460/0104/2481/2017 दिनांक 27.03.2017 को जे0एल0तिवारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील जैसिंहनगर के हस्ताक्षर से जारी है, जिसके अनुसार विनोद कोल पुत्र श्री अगस्सू कोल, माता श्रीमती ललिया बाई, निवासी ग्राम कुबरा, तहसील

जैसिंहनगर, जिला शहडोल ''कोल'' जाजाति के सदस्य है और उनकी जाति संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन म0प्र0राज्य के लिये अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 25 पर विर्निदिष्ट की गई है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि फरियादी विनोद कोल, ''कोल'' अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है।

08— फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी दिनेश उर्फ ललुआ यादव को जानता है, जो उसके गॉव का निवासी होकर ''यादव'' जाति का होकर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है। उक्त तथ्य का समर्थन साक्षी लाला कोल (अ0सा02), राकेश कोल (अ0सा03) एवं विष्णु कोल (अ0सा04) ने भी अपने कथनों में किया है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्य के संबंध में कोई चुनौती भी नहीं दी गई है तथा उसने धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत् किये गये परीक्षण के प्रश्न क्र02 में उक्त तथ्य को स्वीकार किया है कि वह यादव जाति का होकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आरोपी दिनेश उर्फ ललुवा यादव ''यादव'' जाति का होकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है।

<u>विचारणीय प्रश्न कमांक 2 लगायत 5 पर निष्कर्ष</u>

09— उक्त सभी विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने के कारण और साक्ष्य की विवेचना में सहूलियत की दृष्टि से उनके संबंध में साक्ष्य की विवेचना एक ही साथ की जा रही है।

10— इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा साक्ष्य की विवेचना के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के उस न्याय दृष्टांत का उल्लेख किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसमें आपराधिक विधि के तीन प्रमुख सिद्धांतों को बताया गया है। माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **<u>थावरिया विरूद्ध म0प्र0 राज्य 2004 (4) एम0पी0एल0जे0 पेंज 442</u>** **एवं** **<u>राजस्थान राज्य विरूद्ध इस्लाम ए0आई0आर0 2011 सु0को0 2317</u>** के मामले में यह विधि प्रतिपादित की गई है कि :—

क— अभियोजन को आरोपी के विरूद्ध अपराध अपने संदेहातीत रूप से प्रमाणित करना चाहिए।

ख— अभियोजन को अपने पैर पर खड़े होकर मामले को प्रमाणित करना चाहिए।

ग— यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो विचार संभव हों तो, जो विचार आरोपी के पक्ष में हो, उसे विचार में लेना चाहिए।

11— न्याय दृष्टांत **<u>राजस्थान राज्य विरूद्ध इस्लाम, ए0आई0 आर0 2011 सुप्रीम कोर्ट 2317</u>** के मामले में भी माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा इस आशय का मत व्यक्त किया गया है कि अभियोजन को

अपना मामला युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिये, तभी आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है। यदि अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो विचार संभव हों तो, जो विचार आरोपी के विचार का हो, उसे विचार में लेना चाहिए। न्याय दृष्टांत **शांति बाई विरूद्ध म0प्र0राज्य 1997(1) एम0पी0एल0जे0 674** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का मत व्यक्त किया गया है कि आपराधिक विधि का यह सुस्थापित नियम है कि किसी अपराध को साबित करने के उद्देश्य से अभियोजन को अपराध के प्रत्येक पहलू को यथोचित रूप से संदेह से परे अवश्य सिद्ध करना चाहिए।

12– अभियोजन साक्षी विनोद कोल (अ0सा01) ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी उसके गॉव का है, वह पहचानता है। घटना, कथन दिनांक 6.11.2017 से लगभग एक साल पहले शाम 7.00 बजे की है, वह अपने घर से किराना दुकान सामान लेने गया था, सामान लेकर वापिस घर आ रहा था तभी बरा के पेंड़ के पास रास्ते में जब पहुंचा तो आरोपी वहीं पर आया और उसे बोला कि ''सुन बे मादरचोद कोलवा'' कहां जा रहा है, रूक, तो वह रूका और बोला कि गाली क्यों दे रहे हो, तभी आरोपी ने उसे पास रखे टंगिया के पांसा से उसके माथे में बाईं तरफ मारा, जिससे खून बहने लगा, फिर दाहिने हांथ की कोहनी में पांसा से मारा, तभी उसके द्वारा हल्ला गुहार किये जाने पर लाला, विष्णु, लवकेश कोल, अंजू गोंड़ आए और बीच बचाव किये तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया।

13– उक्त अभियोजन साक्षी विनोद कोल (अ0सा01) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसने घटना दिनांक को ही थाना जयसिंहनगर जाकर आरोपी के विरूद्ध घटना की रिपोर्ट प्र0पी02 लिखाई थी तत्पश्चात् पुलिस द्वारा उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराए जाने हेतु सी0एच0सी0 जयसिंहनगर भेजा गया था, जहां चिकित्सक द्वारा उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया था। इसके बाद पुलिस उसके गॉव घटना स्थल देखने आई थी और उसके समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी03 बनाया था, उसके समक्ष नजरी नक्शा पटवारी द्वारा घटना स्थल पर आकर प्र0पी05 बनाया गया था, पुलिस ने घटना के संबंध में उसका कथन लिया था।

14– साक्षी विनोद कोल (अ0सा01) के प्रति परीक्षण में कथन खण्डित नहीं है। इस तथ्य से इंकार किया है कि शराब पीकर गिर गया था, जिससे सड़क पर गिरने से पत्थर से चोंट आई थी। इस तथ्य से भी इंकार किया है कि मजदूरी के पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिससे गिरने के कारण आई चोंट के आधार पर झूंठी रिपोर्ट की थी। इस तथ्य से भी इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी से उसकी मुलाकात नहीं हुई और न ही आरोपी ने उसे मादरचोद कोलवा की गाली दिया। इस तथ्य

से भी इंकार किया है कि आरोपी ने उसे सिर व कोहनी में नहीं मारा। इस तथ्य से भी इंकार किया है कि मजदूरी के पैसों को लेकर रंजिशन रिपोर्ट की है।

15— अभियोजन साक्षी विष्णु कोल (अ0सा04) ने भी अपने कथन में बताया है कि वह घटना दिनांक को शाम 7—8 बजे ग्राम कुबरा की बरा के पेंड़ के पास घटना स्थल पर खड़ा था, उसी समय फरियादी विनोद सब्जी लेकर आया तो आरोपी उसे मादरचोद की गाली देने लगा और कहा कि उसे मारेगा। आरोपी ने किस बात को लेकर मार पीट की थी, किन्तु फरियादी एवं आरोपी लिपट गए थे, तब फरियादी द्वारा गुहार लगाने पर वे लोग दौड़े थे और छुड़ाया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि आरोपी ने फरियादी को कोलवा की गाली दी थी और उसने फरियादी के सिर से खून बहते हुए देखा था। आरोपी ने छुड़ाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। यद्यपि इस साक्षी ने फरियादी को टांगी के पांसे से सिर में मारते हुए देखने से इंकार किया है, किन्तु सिर में खून बहती चोंट देखा जाना बताया है। प्रति परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि आरोपी ने फरियादी के साथ घटना दिनांक को कोई घटना कारित नहीं की। यद्यपि प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी के हाथ में कोई टांगी नहीं देखा था किन्तु फरियादी ने स्पष्ट बताया कि टांगी के पांसे से आरोपी ने मारा था।

16— अभियोजन साक्षी लाला कोल (अ0सा02), राकेश कोल (अ0सा03), जिन्हें फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) द्वारा घटना के समय हल्ला गुहार करने पर मौके पर पहुंचना बताया गया है, इन दोनो साक्षियों ने फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) के कथनों का कोई समर्थन नहीं किया है कि वे मौके में पहुंच गये थे। किन्तु लाला कोल (अ0सा02) ने यह अवश्य बताया है कि उसे बाद में पता चला था कि फरियादी व आरोपी के बीच कुछ बात चीत हो गई थी क्या बात चीत हुई थी, उसे नहीं पता। राकेश कोल (अ0सा03) घटना के बारे में जानकारी होने से इंकार किया है। उक्त दोनो साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। लाला कोल (अ0सा02) ने पुलिस कथन प्र0पी06 एवं राकेश कोल (अ0सा03) ने पुलिस कथन प्र0पी07 के कथनों को पुलिस को देने से इंकार किया है, जिससे इन दोनो साक्षियों के कथनों से अभियोजन का कोई समर्थन नहीं होता है।

17— साक्षी प्रफुल्ल राय (अ0सा07) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 25.07.2016 को थाना प्रभारी के पद पर थाना जयसिंहनगर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी विनोद कोल, निवासी कुबरा, थाना जयसिंहनगर, 22.04 बजे उपस्थित होकर आरोपी दिनेश उर्फ ललुआ यादव के विरूद्ध बसस्टैण्ड के सामने रास्ते में रोक कर अश्लील गालियां दिया जाना और मार पीट कर जान से मारने की धमकी दिये जाने तथा जातिगत्

अपमानित किये जाने के संबंध में रिपोर्ट की थी, जिसके आधार पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 275/16 धारा 341, 294, 323, 506 भाग–2 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(आर)(एस) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी02 लेख किया था और फरियादी का इलाज कराने के लिये मुलाहिजा आवेदन भरकर आरक्षक 734 नारेन्द्र सिंह के साथ चिकित्सकीय परीक्षण कराने हेतु सीएचसी जयसिंहनगर प्र0पी09 के मुलाहिजा आवेदन के साथ भेजा था।

18– साक्षी प्रफुल्ल राय (अ0सा07) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि एएसआई बी0पी0मिश्रा को घटना स्थल का नक्शा मौका व कथन दर्ज करने हेतु निर्देशित किया था, जिसका समर्थन साक्षी बालेन्द्र प्रसाद मिश्रा (अ0सा06) ने भी अपने कथन में किया है कि उसके द्वारा फरियादी की निशादेही पर नक्शा मौका प्र0पी03 दिनांक 26.07.2016 को तैयार किया गया था और फरियादी के कथन लेखबद्ध किये गये थे। साक्षी प्रफुल्ल राय (अ0सा07) ने यह भी बताया है कि अग्रिम विवेचना हेतु एसडीओपी ब्यौहारी को प्र0पी010 का पत्र दिनांक 27.10.2016 को भेजा था। इस साक्षी के कथन से फरियादी के कथन का समर्थन होता है कि घटना के तत्काल बाद पुलिस थाना जयसिंहनगर में रिपोर्ट प्र0पी02 की गई थी। प्रति परीक्षण में साक्षी का कथन खण्डित नहीं है।

19– डॉ0 आर0पी0सिंह (अ0सा05) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 25.07.2016 को सी0एच0सी0 जयसिंहनगर में मेडिकल आफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना जयसिंहनगर से आरक्षक क्रमांक 734 नारेन्द्र सिंह द्वारा आहत विनोद कोल पिता अगस्सू कोल उम्र 20 साल, निवासी कुबरा को मुलाहिजा आवेदन के साथ चिकित्सकीय परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसके द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किये जाने पर चोंट क्र0 1 सिर के बाईं ओर अग्रभाग में कुचला हुआ घाव 2गुणित1गुणित1/4 सें0मी0 आकार का तथा चोंट क्र02 दाहिनी कोहनी के पीछे भाग में एक लालिमायुक्त सूजनदार चोट 4गुणित4 सें0मी0 की पाया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि आहत को पाई गई चोंटे किसी कड़ी एवं भोथरी वस्तु से पहुंचाई जाना संभावित थी और उक्त चोंटे साधारण प्रकृति की होकर परीक्षण के चार घंटे के भीतर पहुंचाई जाना संभावित प्रतीत होती थी। साक्षी के कथन का समर्थन उसके द्वारा तैयार चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी09 से भी होता है।

20– साक्षी डॉ0आर0पी0सिंह (अ0सा05) के प्रति परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि आहत को चिकित्सकीय परीक्षण के समय सिर में बाईं भाग पर कोई चोंट नहीं पाई गई थी और न ही ऐसा कोई तथ्य आया कि आहत के दाहिनी कोहनी के पीछे भाग पर कोई चोंट नहीं पाई गई थी। यद्यपि इस साक्षी ने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत को आई चोट पत्थर वाली या डामर वाली सड़क में गिरने से आ

सकती हैं, किन्तु फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) ने अपने प्रति परीक्षण में दिये गये इस सुझाव को इंकार किया है कि उसे सड़क पर गिरने से चोंटे आई थी। उसके कथन से यह प्रमाणित है कि आरोपी द्वारा टंगिया के पांसा से उसे चोंटे पहुंचाई गई थी। फरियादी के हल्ला गुहार सुनकर मौके में पहुंचे विष्णु कोल (अ0सा04) के कथन से भी यह प्रमाणित है कि आरोपी, फरियादी के साथ घटना स्थल पर विवाद कर रहा था, मादरचोद की गाली दे रहा था, मार पीट किया था। उसने फरियादी के सिर से खून बहते हुए देखा था। आरोपी ने कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे प्रमाणित हो कि फरियादी को गिरने से चोंटे आई हैं और आरोपी द्वारा मार पीट कर चोंटे नहीं पहुंचाई गई है, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि गिरने से चोंटे आई थी।

21— साक्षी शारदा प्रसाद गुप्ता (अ0सा08) पटवारी हल्का कुबेर नं055 द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि दिनांक 23.09.2016 को थाना जयसिंहनगर के इस अपराध में तहसीलदार के निर्देशन में घटना स्थल पर जाकर फरियादी विनोद कोल व साक्षियों की निशादेही में घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र0पी05 तैयार किया था। मौके में अन्य साक्षी मनोज रजक व बद्री उपस्थित था। प्र0पी011 के पत्र के साथ नजरी नक्शा प्र0पी05, तहसीलदार जयसिंहनगर को भेजा था। इस साक्षी का प्रति परीक्षण में कथन खण्डित नहीं है कि प्र0पी05 का नजरी नक्शा फरियादी की निशादेही पर तैयार नहीं किया गया था। प्र0पी05 में घटना स्थल का लाल स्याही से चिन्हिंत किया गया है, जो बिजली के खम्भा के पास बताया गया है। घटना स्थल, सार्वजनिक स्थल है, नक्शा मौका प्र0पी03 से भी समर्थन होता है, जो बी0पी0मिश्रा सहायक उपनिरीक्षक (अ0सा06) द्वारा तैयार किया गया था।

22— विवेचना अधिकारी गजेन्द्र सिंह कंवर (अ0सा09) एसडीओपी ब्यौहारी द्वारा अपने कथन में बताया गया कि दिनांक 23.08.2016 को ब्यौहारी में पदस्थ रहते हुए थाना जयसिंहनगर के अपराध क्रमांक 275/16 धारा 341, 294, 323, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)(आर)(एस) एससी /एसटी एक्ट की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को साक्षी विनोद कोल, विष्णु कोल, लाला कोल, रमेश कोल, अंजू सिंह के बताए अनुसार कथन लेख किया था। इस प्रकार इस साक्षी ने विवेचना के संबंध में कथन किया है। प्रति परीक्षण में इस साक्षी का कथन खण्डित नहीं है।

23— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्र0पी03 के नक्शा मौका का सत्यापन किसी साक्षी द्वारा घटना स्थल पर जाकर नहीं किया गया। यह सही है कि इस साक्षी द्वारा कथन के पैरा 2 में उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। किन्तु घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी03 मौके में जाकर, उपनिरीक्षक बी0पी0मिश्रा (अ0सा06) द्वारा फरियादी की निशादेही में तैयार किया जाना अपनी साक्ष्य में बताया है। प्रति परीक्षण

में उक्त तथ्य खण्डित नहीं है, जिससे यदि नक्शा मौका प्र0पी03 का सत्यापन गजेन्द्र सिंह कंवर (अ0सा09) द्वारा मौके में जाकर नहीं किया गया तो इससे कोई विपरीत नहीं पड़ता है। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन अंकित किया जाना बताया है।

24— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि फरियादी और आरोपी आपस में दोस्त थे, साथ में मजदूरी करते थे, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूंठे अपराध में फंसाया गया है। यह भी तर्क किया गया है कि स्वतंत्र साक्षी लल्ला कोल (अ0सा02), राकेश कोल (अ0सा03) ने फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) के कथनों का समर्थन नहीं किया है। विष्णु कोल (अ0सा04), फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) का रिश्ते में भाई लगता है, जो हितबद्ध साक्षी है, जिससे उसके कथन विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हैं। साक्षी विनोद कोल (अ0सा01) एवं विष्णु कोल (अ0सा04) के कथन के आधार पर अभियोजन मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

25— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह सही है कि फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) एवं आरोपी दोनो आपस में दोस्त हैं और एक साथ मजदूरी करने जाते थे, जैसा कि कथन के पैरा 3 में साक्षी ने स्वीकार किया है। किन्तु ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि आरोपी ने उसे दोस्त होने के कारण रास्ते में रोका था और दोस्ती में उसे जातिगत् मादरचोद कोलवा की गाली दिया था। जब तक यह तथ्य न आए कि फरियादी को आरोपी द्वारा दोस्ती के कारण सार्वजनिक स्थान व जनता के दृष्टिगोचर में जातिगत् शब्दों का उपयोग कर रहा था, तो यह माना जाएगा कि जातिगत् गालियां उसे अभित्रस्त व अपमानित करने के लिये उच्चारित किया गया है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **<u>बृजेन्द्र सिंह वैस विरूद्ध म0प्र0 राज्य, 2015 (3) एम0पी0डब्ल्यू0एन0 103</u>** में प्रतिपादित सिद्धांत अवलोकनीय है, जिसमें उक्त आशय का मत प्रतिपादित किया गया है। इस मामले में आरोपी दिनेश उर्फ ललुवा यादव द्वारा आरोपी को रास्ते में रोक कर मादरचोद कोलवा कहां जा रहा है, की अश्लील गाली उच्चारित किया है और फरियादी के मना करने पर मार—पीट की है, जिससे फरियादी और आरोपी का दोस्त होना तथा एक साथ काम करने के तथ्य से यह नहीं माना जा सकता कि मिथ्या फंसाया गया है।

26— इस मामले में साक्षी विनोद कोल (अ0सा01) फरियादी के कथन से यह भी प्रमाणित है कि आरोपी ने उसे टंगिया के पांसा से माथे में बाईं ओर मारा था, जिससे खून बहने लगा था तथा दाहिने हांथ की कोहनी में भी मारा था, जिसमें चोट आई थी, जिसका समर्थन विष्णु कोल (अ0सा04) के कथन और चिकित्सक डॉ0 आर0पी0सिंह (अ0सा05) के कथन व उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी09 से होता है।

फरियादी के माथे में बाईं ओर और दाहिनी कोहनी में चोंट पाई गई थी। यह सही है कि लाला कोल (अ0सा02) व राकेश कोल (अ0सा03) ने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है, किन्तु आहत साक्षी विनोद कोल (अ0सा01) और विष्णु कोल (अ0सा04) चक्षुदर्शी साक्षी के कथन से प्रमाणित है कि आरोपी ने रास्ते में सदोष रोक कर फरियादी को जातिगत् गालियां दी और मार पीट की, जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त कारित किया। म0प्र0राज्य विरूद्ध देवी सिंह 2011 सीआरएलआर 268 म0प्र0 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि जहां चिकित्सकीय साक्ष्य से आहत चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य का समर्थन होता है, वहां अभियोजन का मामला विश्वास किये जाने योग्य है।

27— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का जहां तक यह तर्क कि विष्णु कोल (अ0सा04) फरियादी का रिश्ते में भाई है, वह हितबद्ध साक्षी है, तो केवल हितबद्ध साक्षी होने से ही उसकी सम्पूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। उसने बताया है कि हल्ला गुहार सुनने पर वह मौके में गया था, आरोपी, फरियादी को जातिगत् गालियां कोलवा मादरचोद की दी थी और मना करने पर मारने के लिये कहा, उसने फरियादी को चोंटे देखी थी। यद्यपि कुछ बिन्दुओं पर समर्थन नहीं किया है, किन्तु यह समर्थन किया है कि फरियादी और आरोपी का विवाद हुआ था, जो मौके में गया था, आरोपी को देखा था और फरियादी को चोंट लगी थी। फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) ने घटना के संबंध में स्पष्ट बताया है कि आरोपी ने उसे टंगिया के पांसा से मारा था, जिससे उसे चोंटे आई थी। फरियादी ने उसे किसी प्रकार से प्रकोपित किया हो, इसके पश्चात् आरोपी ने घटना कारित की हो, ऐसा कोई तथ्य विनोद कोल (अ0सा01) के कथनों व प्रति परीक्षण में नहीं आया है, जिससे यदि अन्य साक्षी लाला कोल (अ0सा02), राकेश कोल (अ0सा03) ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि अभियोजन के लिये यह आवश्यक नहीं है कि सभी साक्षी समर्थन करें, तभी अभियोजन का मामला प्रमाणित माना जावे। इस मामले में फरियादी विनोद कोल (अ0सा01), विष्णु कोल (अ0सा04) व चिकित्सक आर0पी0सिंह (अ0सा05) के कथन व चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी09 से अभियोजन का मामला प्रमाणित होता है।

28— साक्षी विनोद कोल (अ0सा01) द्वारा घटना के तत्काल बाद पुलिस थाना जयसिंहनगर में रिपोर्ट प्र0पी02 लेख कराई थी, जैसा कि साक्षी विनोद कोल (अ0सा01) व थाना प्रभारी, जयसिंहनगर प्रफुल्ल राय (अ0सा07) के कथन व रिपोर्ट प्र0पी02 से प्रमाणित होता है। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्र0पी02 की रिपोर्ट उसे पढ़कर नहीं सुनाई गई थी। यह सही है कि उक्त साक्षी ने कथन के पैरा 6 में उक्त तथ्य स्वीकार किया है कि उसे पढ़कर रिपोर्ट नहीं सुनाई गई थी किन्तु उसके द्वारा रिपोर्ट लिखाया जाना बताया गया है और

प्रफुल्ल राय (अ0सा07) ने समर्थन किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नहीं है, फरियादी का न्यायालयीन कथन महत्वपूर्ण है, प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल सम्पोषक साक्ष्य है। फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) के कथन और रिपोर्ट प्र0पी02 में कोई सारभूत विरोधाभास व लोप नहीं है, जिससे उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाया गया, जिससे विश्वास योग्य नहीं है।

29— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोपी को मिथ्या फंसाए जाने की प्रतिरक्षा ली गई है, किन्तु कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई कि क्यों मिथ्या फंसाया गया है और न ही कोई ऐसा तथ्य विनोद कोल (अ0सा01) के प्रतिपरीक्षण में आया है। प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य से इंकार किया गया है कि मजदूरी के पैसों को लेकर पूर्व में विवाद हुआ था और इसी कारण से गिरने से चोंट आने से झूंठा फंसाया है। इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित की गई है। विवेचना अधिकारी गजेन्द्र सिंह कंवर (अ0सा09) के प्रति परीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि विवेचना के दौरान रंजिशवस फंसाए जाने का कोई तथ्य पाया गया हो। न्याय दृष्टांत **म0प्र0राज्य विरूद्ध रामसिंह 2010 (1) एम0पी0डब्ल्यू0एन0 81 म0प्र0** के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि मिथ्या फंसाए जाने की प्रतिरक्षा जहां ली गई है परन्तु ऐसा प्रमाणित होना नहीं पाया गया। अतः मिथ्या फंसाए जाने की प्रतिरक्षा मान्य नहीं किया जा सकता है।

30— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 के अधीन आने वाले अपराध तभी आकर्षित होंगे, जब कि अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं होने वाले व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी सदस्य के प्रति अधिनियम की धारा 3 में वर्णित अपराध कारित किया जाए। अधिनियम की धारा 8(ग) उपधारणा के संबंध में है, जो निम्नानुसार है :—

> ,''अभियुक्त, पीड़ित या उसके कुटुम्ब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक अन्यथा साबित न हो अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजाति पहचान का ज्ञान था''।

31— फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लेख कराया गया है कि आरोपी ने रास्ते में रोक कर उसे मादरचोद कोलवा की गाली दी थी। अपने न्यायालयीन कथन में भी यही बताया है। साक्षी विष्णु कोल (अ0सा04) ने भी अपने कथन में बताया कि आरोपी ने मादरचोद कोलवा की गाली दी थी। प्रति परीक्षण में उक्त तथ्य खण्डित नहीं है। आरोपी ने कोलवा जाति के नाम से गाली दी है, जिससे वह जानता था कि फरियादी ''कोल'' जाति का है। फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आरोपी उसका दोस्त है और एक साथ मजदूरी करता था, जिससे आरोपी फरियादी की जाति से भलीभांति परिचित था और व्यक्तिगत् फरियादी को जानता था, जिससे फरियादी की जाति के ज्ञान के संबंध में उपधारणा की जाएगी कि आरोपी को फरियादी की जाति का ज्ञान था। आरोपी

ने फरियादी की जाति को जानते हुए कि वह ''कोल'' जाति का होकर अनुसूचित जनजाति का है, उसके साथ उक्त अधिनियम की धारा 3(2)(5ए) में वर्णित विर्निदिष्ट अनुसूची के भा0दं0सं0 के अपराध 341, 323, 506 भाग–2 का अपराध कारित किया है, जैसा कि उपर युक्ति–युक्त संदेह से परे उक्त अपराध कारित किया जाना पाया गया है। आरोपी ने यह जानते हुए कि फरियादी विनोद कोल ''कोल'' जाति का होकर अनुसूचित जनजाति में आता है, लोक स्थान या उसके समीप जातिगत् गाली–गलौच कर स–आशय अपमानित किया है व जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त कारित किया है, जिससे धारा 3(2)(5ए), 3(1)(आर)(एस) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित है।

32– उपरोक्त अभियोजन साक्षियों के कथनों व दस्तावेजों से यह युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि आरोपी ने घटना दिनांक 25.07.2016 को 19.00 बजे से लेकर 19.20 बजे के बीच कुबरा रोड में बसस्टैण्ड के पास आम रास्ते में आरोपी, फरियादी कोल को दिशा–विशेष में जाने से सदोष रोक कर अवरोध कारित किया तथा उसके साथ सार्वजनिक स्थान पर जनता के दृष्टिगोचर में जातिगत् गालियां मादरचोद कोलवा की देकर उसे अपमानित किया, जान से मारने की धमकी देकर अभित्रस्त कारित किया और टंगिया के पांसा से मार–पीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। आरोपी ने रास्ते में रोक कर, जातिगत् अश्लील गालियां, मार–पीट करना व जान से मारने की धमकी देने का अपराध यह जानते हुए किया है कि फरियादी कोल जाति का होकर अनुसूचित जनजाति का है, जब कि आरोपी अनुसूचित जाति/जनजाति से भिन्न, यादव जाति का है।

33– अतः आरोपी के विरूद्ध युक्ति–युक्त संदेह से परे भा0दं0सं0 की धारा 341, 323, 506 भाग–2 एवं धारा 3(2)(5ए), 3(1)(आर)(एस) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अपराध प्रमाणित होता है, जिससे आरोपी दिनेश उर्फ ललुवा को उक्त अपराध के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं तथा आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाता है।

34– आरोपी दिनेश उर्फ ललुवा यादव को सजा के प्रश्न पर सुने जाने के लिये निर्णय कुछ देर के लिये स्थगित किया जाता है।

(बी0एल0प्रजापति)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.
एक्ट 1989 शहडोल (म.प्र.)

35– दण्ड के प्रश्न पर आरोपी दिनेश उर्फ ललुवा व उसके विद्वान अभिभाषक श्री राजेन्द्र द्विवेदी को एवं अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक श्री अरविंद द्विवेदी को सुना गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है और आरोपी नवयुवक है, इसलिये सजा के संबंध में उसके प्रति नरम रूख अपनाया जावे। इसके विपरीत अभियोजन की तरफ से तर्क किया गया कि आरोपी, ने अनुसूचित जनजाति के

सदस्य के साथ स–आशय घटना कारित की है, अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को अधिकतम् दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

36– सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणित नहीं है, उसका यह प्रथम अपराध होना प्रकट किया गया है। किन्तु जिस तरह से अनुसूचित जनजाति के सदस्य फरियादी विनोद कोल के साथ अपराध कारित किया गया है, उसके अनुरूप आरोपी को उचित दण्ड दिया जाना न्यायोचित है, जिससे अपराध की पुनरावृत्ति न कर सके। **<u>न्याय दृष्टांत म0प्र0 राज्य विरूद्ध सुरेश आई0एल0आर0 (2019) एम0पी0 1348 सु0को0</u>** के मामले में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा दण्ड की मात्रा बावत् यह मत दिया गया है कि अपराध सिद्ध होने पर दोषी को न्याय संगत पर्याप्त दण्ड प्रदान करना न्यायालय के कर्त्तव्य का हिस्सा रहता है, प्रदान किया गया दण्ड अपराध की गंभीरता के साथ सुसंगत तथ्यों एवं उपस्थित परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए।

37– आरोपी के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 341, 323, 506 भाग–2 एवं धारा 3(2)(5ए), 3(1)(आर)(एस) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। धारा 3(2)(5ए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का अपराध अपने आपमें कोई दण्डनीय अपराध नहीं है। धारा 3(2)(5ए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के सूची में विर्निदिष्ट भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में उपबंधित दण्ड के अनुसार ही दण्डित किया जाएगा, किन्तु विर्निदिष्ट दण्ड से दण्डनीय दण्ड के साथ जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, यह प्रावधान धारा 3(2)(5ए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में किया गया है। आरोपी को भा0दं0सं0 की धारा 341, 323, 506 भाग–2 के अपराध में दोषी पाया गया है, अतः आरोपी दिनेश उर्फ ललुवा यादव को भा0दं0सं0 की धारा 341 सहपठित धारा 3(2)(5ए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, 323 भा0दं0सं0 सहपठित धारा 3(2)(5ए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं 506 भाग–2 भा0दं0सं0 सहपठित धारा 3(1)(आर) 3(2)(5ए)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जाति के नाम से फरियादी को अश्लील गालियां उच्चारित करने के लिये धारा 3(1)(एस) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अपराध में दण्डित किया जाएगा।

38– अतः उपरोक्त अभियोजन के मामले के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए **आरोपी दिनेश उर्फ ललुवा यादव को** भा0दं0सं0 की धारा 341

सहपठित धारा 3(2)(5ए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के आरोप में एक माह की साधारण कारावास की सजा और 500/– रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 323 भा0दं0सं0 सहपठित धारा 3(2)(5ए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के आरोप में 06 माह के साधारण कारावास की सजा और 1,000/– रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 506 भाग–2 भा0दं0सं0 सहपठित धारा 3(1)(आर), 3(2)(5ए)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के आरोप में 06 माह के साधारण कारावास की सजा और 1,000/– रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 3(1)(एस) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के आरोप में 06 माह की सजा एवं 500/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर आरोपी को क्रमशः एक माह, तीन माह, तीन माह एवं एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावेगा।

39– आरोपी को दी गई सभी सजायें एक साथ भुगताई जावें। आरोपी द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को उसकी सजा की अवधि में समायोजित किया जावे। उक्त संबंध में धारा 428 दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के तहत् विधिवत् प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

40– आरोपी की ओर से अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर उपरोक्त सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि 3,000/– रूपये में से सम्पूर्ण राशि फरियादी विनोद कोल (अ0सा01) को धारा 357(1) दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के तहत् प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात् अदा किया जावे। प्रकरण में जब्तसुदा मूल जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति लेकर फरियादी को अपील अवधि पश्चात् वापिस की जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे। प्रकरण में जब्तसुदा अन्य सम्पत्ति निराकरण योग्य नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित घोषित।

मेंरे निर्देश पर टंकित ।

(बी0एल0प्रजापति)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
शहडोल (म0प्र0)

(बी0एल0प्रजापति)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
शहडोल (म0प्र0)

Bhoore Lal Prajapati

Digitally signed by Bhoore Lal Prajapati
DN: cn=Bhoore Lal Prajapati, ou=DISTRICT AND SESSIONS COURT SHAHDOL, o=DISTRICT AND SESSIONS COURT SHAHDOL, st=Madhya Pradesh, c=IN